

छत्तीसगढ़ शासन  
रेकूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर

क्रमांक F-6-11/2023/20-3

नवा रायपुर, दिनांक 13/07/2023

प्रेषक,

पुलक भट्टाचार्य  
अवर सचिव,  
छत्तीसगढ़ शासन,  
रेकूल शिक्षा विभाग

प्रेषिती,

सचिव  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (C.B.S.E.).  
शिक्षा केन्द्र-2 कम्यूनिटी सेंटर,  
प्रीत विहार, नई दिल्ली ।

विषय:- सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम के संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने वावत्- अशासकीय मार्डन एण्ड मोरल एकेडमी पब्लिक रेकूल ग्राम परसदा, विकासखण्ड व जिला बिलासपुर (छ.ग.) ।

=00=

विषयान्तर्गत राज्य शासन एतद द्वारा अशासकीय मार्डन एण्ड मोरल एकेडमी पब्लिक रेकूल ग्राम परसदा विकासखण्ड व जिला बिलासपुर (छ.ग.) को कक्षा 01 ली से कक्षा 8वीं तक शिक्षा सत्र 2023-24 से सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम (C.B.S.E.), नई दिल्ली से संबंधित के लिए अनापत्ति रेकूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ-6-1/2008/20-तीन दिनांक 09-07-2013 में दिये गए निर्देशों का पालन किये जाने की शर्त पर प्रदान करता है।

(पुलक भट्टाचार्य)

अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
रेकूल शिक्षा विभाग

पृष्ठांक F-6-11/2023/20-3

नवा रायपुर, दिनांक 13/07/2023

प्रतिलिपि:-

- विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, रेकूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर ।
- संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर की ओर आपके पत्र क्रमांक अनुदान/CBSE/NOC/2023/196, दिनांक 09-06-2023 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।
- कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ ।
- जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ ।
- प्राचार्य, अशासकीय मार्डन एण्ड मोरल एकेडमी पब्लिक रेकूल ग्राम परसदा विकासखण्ड व जिला बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- गार्ड फार्मल ।